न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 71/2021 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2021/70**
दायर दिनांक :– 08.06.2021 **निर्णय दिनांक :– 20.09.2024**

01. चैनसिंह पुत्र कोजसिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंह की सिड तहसील बाप
02. नारायणसिंह पुत्र कोजसिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंह की सिड तहसील बाप
03. माधोसिंह पुत्र कोजसिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंह की सिड तहसील बाप

वादीगण............

बनाम

01. तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)

प्रतिवादी............

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितः– 1. श्री राजेन्दसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि ग्राम कानसिंह की सिड पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 788 रकबा 162.00 बीघा भूमि पर वादीगण के पूर्वजों का कब्जा काश्त था, वादीगण के पूर्वजों के कब्जा काश्त अनुसार खसरा नम्बर 788 का मोमी ट्रेस नक्शा तैयार किया गया जिसका रकबा 162.00 बीघा है। लेकिन सेटलमेंट अधिकारियों के द्वारा खसरा नम्बर 788 की खतौनी बन्दोबस्त तैयार करते समय गलती से खसरा नम्बर 788 रकबा 162.00 के स्थान पर सरासर गलत तरीके से एवं मोमी ट्रेस नक्शा से कम रकबा 16.00 बीघा दर्ज कर दिया। जबकि वक्त सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादीगण के पूर्वजों का तथा उनके फौत होने के पश्चात वादीगण का रकबा 162.00 बीघा भूमि पर ही कब्जा व काश्त है। वक्त सेटलमेंट अधिकारियों के द्वारा पहले खातेदारों के कब्जा काश्त अनुसार मोमी ट्रेस नक्शे तैयार किये और उसके बाद मोमी ट्रेस नक्शा अनुसार ही खतोनी तैयार की गई। इसी प्रकार वक्त सेटलमेंट ग्राम कानसिंह की सिड में भी सेटलमेंट अधिकारियों के द्वारा ग्राम कानसिंह की सिड का मोमी ट्रेस नक्शा खातेदारों के कब्जा काश्त अनुसार ही तैयार किया गया। वादीगण के पूर्वज कोजसिंह पुत्र [illegible] के कब्जा [illegible] अनुसार खसरा नम्बर 788 का मोमी ट्रेस नक्शा तैयार करते समय गलती से खसरा नम्बर 788 [illegible] रकबा 162.00 बीघा के स्थान पर सरासर गलत तरीके से एवं मोमी ट्रेस से कम रकबा 16.00 बीघा दर्ज [illegible] दिया। जबकि वक्त सेटलमेंट से लेकर उक्त भूमि पर वादीगण के पूर्वजों का [illegible] वादीगण का रकबा 162.00 बीघा भूमि पर ही कब्जा व काश्त है। वादीगण ने रकबा 162.00 बीघा भूमि पर तारबंदी कर रखी है। इसलिए वादीगण ग्राम कानसिंह की सिड पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला जोधपुर के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:14:16 IST
Reason: SelfAttested

20.9.24
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

खसरा नम्बर 788 रकबा 16.00 बीघा के राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त कर खसरा नम्बर 788 का सही एवं वास्तविक रकबा 162.00 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है। जिसका यह दावा पेश है।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब पेश कर बताया कि ग्राम कनसिंह की सिड वर्तमान नवसृजित ग्राम आजादनगर पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड के खसरा नम्बर 788 रकबा 16.00 बीघा के स्थान पर खसरा नम्बर 788 का सही व वास्तविक रकबा माफिक मोमी ट्रेस नक्शा अनुसार कुल रकबा 162.09 बीघा भूमि राजस्व अभिलेख मे दुरूस्ती की जाकर खसरा नम्बर 788 में बढोतरी रकबा 146.09 बीघा वादीगण के नाम दर्ज की जाती है तो कोई उजर ऐतराज नहीं है। वादी संख्या 1 चैनसिंह ने अपने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया एवं चैनसिंह के बयान पी–डब्लू 1 कलमबद्व किये गये, मोहनराम पुत्र किसनाराम ने साक्ष्य का शपथ एवं बयान पी–डब्लू 2 कलमबद्व किये गय, पटवारी हल्का कानसिंह की सिड के साक्ष्य पी.डब्लू–3 कलमबद्व किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये।

हमने उभय पक्ष बहस सुनी। अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि वादीगण की सामलाली खातेदारी की भूमि नवसृजित ग्राम आजादनगर पटवार हल्का कानसिंह की सिड तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 788 रकबा 162.09 बीघा के रूप में स्थित है, उक्त भूमि पर पूर्व में वादीगण के पूर्वजों का वक्त सेटलमेंट से पूर्व रकबा 162.09 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त रहा तथा उनकी मृत्यु के पश्चात वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा खसरा नम्बर 788 की खतौनी बंदोबस्त तैयार करते समय रकबा 162.09 बीघा के स्थान पर 16.00 बीघा दर्ज कर दिया गया जबकि नक्शा ट्रेस में उक्त भूमि का रकबा 162.09 बीघा किया हुआ है और मौके पर वादीगण का 162.09 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है इसलिये वादीगण खसरा नम्बर 788 के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी को दुरूस्त करवाकर रकबा 16.00 बीघा के स्थान पर माफिक नक्शा ट्रेस अनुसार 162.09 बीघा दर्ज करवाकर रेकर्ड दुरूस्त किया जावे। वादीगण के अधिवक्ता ने वाद के समर्थन में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकार है :– (01) राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर आर. आर.टी. 2013(1) उदयलाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य पेज संख्या 391, (02) आर.आर.टी. 2013(1) हरिनारायण व अन्य बनाम भागीरथ व अन्य पेज संख्या 226 की नजीरे प्रस्तुत कर कथन किया कि सेटलमेंट के समय में सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा की गई त्रुटियों को दुरूस्त करने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्रदान किये हुवे है तथा सेटलमेंट के समय राजस्व रेकर्ड तैयार में रही त्रुटियों को दुरूस्त करने में उखण्ड अधिकारी सक्षम है।

उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद मनन, अवलोकन एवं अध्ययन करने पर पाया गया कि विवादग्रस्त भूमि नवसृजित ग्राम आजादनगर पटवार हल्का कानसिंह की सिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 788 रकबा 16.00 बीघा भूमि वादीगण के खातेदारी में दर्ज थी, जो जमाबंदी से साबित है लेकिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pinder
Date: 2024.11.06 16:14:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

उक्त भूमि के नक्शा ट्रेस में रकबा 162.09 बीघा है, जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी से 146.09 बीघा कम है जो तहसीलदार बाप के जवाब से साबित है इस प्रकार खसरा नम्बर 788 का मोमी ट्रेस नक्शा में मूल रकबा 146.09 बीघा अधिक दर्ज है। पटवारी हल्का रिपोर्ट एवं तहसीलदार बाप के जवाब से भी साबित है। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय 2013(1) आर.आर.टी पेज संख्या 391 उदयलाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं आर.आर.टी 2013(1) पेज संख्या 226 हरिनारायण व अन्य बनाम भागीरथ व अन्य उक्त प्रकरण में पूर्ण रूप से लागू होता है। पटवारी हल्का ने अपने साक्ष्य में कथन किया कि वादीगण से बढोतरी रकबे की लगान राशि प्राप्त की जावे। तहसीलदार बाप ने अपने जवाब में भी कथन किया है वादीगण के वाद का निस्तारण साक्ष्य सनुवाई एवं गुणावगुण पर किये जाने पर एतराज नहीं है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादीगण साबित है। वाद वादीगण स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः वाद वादीगण स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि नवसृजित ग्राम आजादनगर पटवार हल्का कानसिंह की सिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 788 का राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में गलत रूप से दर्ज रकबा 16.00 बीघा को दुरूस्त किया जाकर खसरा नम्बर 788 का रकबा 162.09 बीघा माफिक नक्शा ट्रेस राजस्व रेकर्ड जामाबंदी में दर्ज किया जावे एव बढोतरी रकबा 146.09 बीघा का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि (अगर बढोतरी रकबे की राजस्व मांग बकाया न हो तो) माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20.9.24

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:14:16 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. चैनसिंह पुत्र कोजसिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंह की सिड तहसील बाप
2. नारायणसिंह पुत्र कोजसिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंह की सिड तहसील बाप
3. माधोसिंह पुत्र कोजसिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंह की सिड तहसील बाप

वादीगण.....

बनाम

1. तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)

प्रतिवादी.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

मुकदमा संख्या :– 71/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी एव हाजिर राजेन्दसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि नवसृजित ग्राम आजादनगर पटवार हल्का कानसिंह की सिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 788 का राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में गलत रूप से दर्ज रकबा 16.00 बीघा को दुरूस्त किया जाकर खसरा नम्बर 788 का रकबा 162.09 बीघा माफिक नक्शा ट्रेस राजस्व रेकर्ड जामाबंदी में दर्ज किया जावे एव बढोतरी रकबा 146.09 बीघा का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि (अगर बढोतरी रकबे की राजस्व मांग बकाया न हो तो) माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें।नीचे

मुतालिक बाबत्

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख

वसूल याबी तक को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20.09.2024 को जारी की गई।

20.9.24

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:14:16 IST
Reason: SelfAttested

मुदई	रूपया	पैसे	मुद	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत ना		
स्टाम्प वकालत नामा			अर्जी दावा		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।